राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –171/2014/उदयपुर

अपील संख्या –172/2014/उदयपुर

मैसर्स आदर्श ईन्श्युलेशन एण्ड सन्स, उदयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम्

अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पी.डी. जवेरिया
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के. अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 15.06.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी ने उक्त अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग विशेष वृत, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) धारा 23(1) के तहत् पारित अपीलीय आदेश दिनांक 11.12.2013 के विरूद्ध पेश की गयी है।

2. उक्त दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से क्रय किये गये माल पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा जो माल राज्य के बाहर से क्रय किया है तथा तत्पश्चात् उसे कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टर्नओवर बढ़ाकर एवं सी.एस.टी. खरीद पर करारोपण उक्त माल की डिम्ड सेल मान कर कर निर्धारण आदेश पारित किया है। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जिसपर दिनांक 11.12.2013 को निर्णय पारित कर उक्त अपील को खारिज कर कर निर्धारण अधिकारी आदेश की पुष्टि की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी व्यवहारी का यह तर्क रहा है कि उसके द्वारा जो माल राज्य के बाहर से क्रय किया गया वह माल कार्य संविदा के निष्पादन हेतु ही क्रय किया गया और उसी में प्रयुक्त किया गया। कर संविदा के निष्पादन हेतु

लगातार.....2

15/06/16

राज्य के बाहर से आयतित माल के कार्य संविदा में प्रयुक्त होने पर उस माल की सम्पत्ति का अन्तरण (Transfer of Property of Goods) को डीम्ड सेल मान कर करारोपण किया गया। वह अविधिक है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स त्रिवेणी इन्जिनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीयल लि. पारित निर्णय दिनांकित 16.02.2001 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि व्यवहारी द्वारा अन्तर्राज्यीय खरीद के तहत् राज्य के बाहर से माल आयात राज्य में संविदा कार्य में उपयोग में लिये गये माल को अधिनियम की धारा 2(38) के स्पष्टीकरण II(ए) के अन्तर्राज्यीय माल को डीम्ड सेल मानने संबंधी प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, द्वारा न्यायिक दृष्टांत अपील संख्या 44/2004 सहायक आयुक्त, डब्ल्यू.सी. एण्ड एल.टी., वृत्त–द्वितीय, जयपुर बनाम डेलिट इंजिनियरिंग निर्णय दिनांक 05.09.2007 एवं राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर अपील संख्या 2403/2007/सवाई माधोपुर मैसर्स कन्सलटेंट कब्यूशन इंजीनिसर्य, मार्फत वन्य विलास, सवाई माधोपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स संभाग द्वितीय, जयपुर निर्णय दिनांक 26.12.2011 में मैसर्स त्रिवेणी इंजीरियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. में पारित निर्णय के आधार पर संविदा के निष्पादन हेतु राज्य के बाहर से आयातीत माल को प्रयुक्त कर सम्पत्ति के रूप में अन्तरण डीम्ड सेल नहीं मानते हुए करारोपण किया जाना अविधिक माना गया है। इस प्रकार अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष में कर निर्धारण अधिकारी एव अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता की बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स त्रिवेणी इंजीरियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय में अधिनियम की धारा 2(38) के स्पष्टीकरण II(ए) को अविधिक घोषित किये जाने के पश्चात् भारत सरकार द्वारा के.बि.क.अ. 1956 की धारा 2(जी) में दिनांक 11.05.2002 को संशोधन किया जाकर संविदा कार्यों के निष्पादन में अन्तर्वलित माल में सम्पत्ति के अन्तरण को विक्रय माना गया है। अतः उक्त संशोधन के पश्चात् एवं राज्य में पंजीकृत संविदाकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से आयात किये गये माल का संविदा कार्यों में उपयोग में लिये जाने के कारण यह अधिनियम की धारा 2(38)(ii) के अन्तर्गत विक्रय होने से इस पर राज्य में कर देयता बनती है। अतः इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण किया जाना एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपील को अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। इस प्रकार उक्त अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

15/06/16

लगातार.....3

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया। अन्तर्राज्यीय खरीद से संबंधित प्रावधान केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के धारा 8 में उपबंधित किये गये है। संविदा कार्यों के निष्पादन में प्रयुक्त होने वाला माल बिक्री की श्रेणी में आने व इस पर कर देयता की स्थिति के संबंध में अधिनियम की धारा 2(35)(ii) का अवलोकन केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 2(g) के संशोधन दिनांक 11.05.2002 के संदर्भ किया जाना समीचीन है, जो निम्न प्रकार है :–

2(35) "Sale" with all its grammatical variations and cognate expressions means every transfer of property in goods by one person to another for cash, deferred payment or other valuable consideration and includes -

(ii) a transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract.

7. उक्त प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राज्य में पंजीकृत अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से संविदा कार्य के निष्पादन हेतु माल क्रय किया। इस प्रकार उक्त माल का संविदा कार्यों में प्रयुक्त किये जाने के कारण इस माल में सम्पत्ति का अन्तरण संविदा कार्यों के निष्पादन में अन्तर्वलित सम्पत्ति के रूप में हुआ है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से खरीद कर आयात किये गये माल का संविदा कार्य के निष्पादन में उपयोग किया जाना अधिनियम की धारा 2(35)(ii) के अधीन विक्रय की श्रेणी में आता है।

8. न्यायिक दृष्टान्त **मैसर्स त्रिवेणी इंजीरियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.** में व्यवहारी संविदाकार कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में स्थित था। संविदाकार व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर कोई क्रय/विक्रय नहीं होते हुए भी उसके राज्य के बाहर स्थित पंजीकृत कार्यालय की ओर से अवार्डर को विक्रय राजस्थान विक्रय कर की धारा 2(38) के स्पष्टीकरण ii (ए) के आधार पर संविदा कार्य में राज्य के भीतर माल की सम्पत्ति का अन्तरण होने के कारण संविदाकार की डीम्ड विक्रय माना जाकर करारोपण किया गया था। जबकि वर्तमान प्रकरण में संविदाकार व अपीलार्थी व्यवहारी राज्य में पंजीकृत है तथा अवार्डर भी राज्य में स्थित है। इस प्रकार वर्तमान प्रकरण में संविदाकार व अवार्डर दोनों ही राज्य में स्थित है।

9. वर्तमान प्रकरण में संविदा कार्य के निष्पादन हेतु संविदाकार व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से माल आयात किया है। उक्त माल का संविदा कार्य में उपयोग किया गया है। इस प्रकार न्यायिक दृष्टांत **मैसर्स त्रिवेणी इंजीरियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.** की तथ्य एवं परिस्थितियॉ, वर्तमान प्रकरण की तथ्य एवं परिस्थिति से भिन्न होने के कारण उसमें प्रतिपादित सिद्धान्त अपीलार्थी की कोई मदद नहीं करते है। इस प्रकार अपीलार्थी संविदाकार एवं अवार्डर दोनों ही राजस्थान के है एवं

लगातार.....4

15/06/16

अपीलार्थी द्वारा राजस्थान के बाहर से माल खरीद कर लाया गया है। अतः राज्य के बाहर से आयात किये गये उक्त माल के संविदा कार्य में प्रयुक्त होने पर डीम्ड विक्रय मानकर उस पर करारोपण किया जाना उचित है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों में हस्तक्षेप किया जाने का कोई औचित्य नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी का निर्णय दिनांक 11.12.2013 की पृष्ठि की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

11. उक्त निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जायें।

15/06/16

(राजीव चौधरी)
सदस्य